

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 08, गुरुवार, शाके 1948- जुलाई 30, 2026 Sravana 08, Thursday, Saka 1948- July 30, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 22, 2026

संख्या प.12(09)नविवि/मण्डली खुर्द(पाली)/2026-17706 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, पाली द्वारा राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 90/6 रकबा 1.6916 हैक्टेयर, 90/7 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90/8 रकबा 0.1133 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 90/9 रकबा 1.5783 हैक्टेयर, कुल रकबा 3.5127 हैक्टेयर भूमि में “श्री राम विहार व्यावसायिक योजना” बनाने का विनिश्चय किया है। इस योजना की सीमायें निम्नानुसार हैं:-

पूर्व:- राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 91/2

पश्चिम:- राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 202

उत्तर:-राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 90/1, 90/2, 90/3, 90/4 व 90/5 की

भूमि

(राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62)

दक्षिण:-राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 202, 201 व 197

उक्त योजना का विवरण एवं नक्शा नगर विकास न्यास, पाली के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्य दिवस में सांयकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

रवि विजय,

शासन उप सचिव-प्रथम।